



भारत सरकार Government of India  
रेल मंत्रालय Ministry of Railways  
रेलवे बोर्ड (Railway Board)



**RBA No. 02 /2020**  
**GST Circular No. 01 /2019**

No. 2018/ ACII/1/57

New Delhi, dated: 01.01.2020

PFA's

All Zonal Railways & PUs.


Sub: Revised Model of EBR-IF funded Contracts.

Ref: Board's letter no. 2018/ACII/1/57 dated 16.12.2019 (RBA No. 109 /2019/ GST Circular no. 32/2019) and letter dated 17.12.2019 (RBA No. 110/2019/ GST Circular no. 33/2019)

\*\*\*

Attention is invited to Board's letters ibid on the above subject for implementation of revised model of EBR-IF funded contracts w.e.f. 01.01.2020.

Some of the Railways have expressed difficulties in implementation of these instructions due to non-receipt of required details from IRFC. It is therefore, decided that the revised procedure may be implemented **w.e.f. 01.02.2020**. In the meantime, the bills/invoices received upto signing of novation agreement may be passed as per existing agreement.

  
( Sanjeev Sharma)  
Director Finance (Accounts)  
Railway Board

Copy to:

1. ED/W, ED/WP, ED/RE, EDME/Projects, EDTK/P, EDTK/M, EDRS/G, EDFB&RM, EDFX-I, EDFX-II, Railway Board;
2. GM/AIMS/CRIS/Chanakyapuri/New Delhi-110021.
3. Director/Sig-I, DRS/IC, DTK/P, DTK/M, Railway Board;
4. DDL&F, Railway Board

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड)/ RAILWAY BOARD

आरबीए सं.02/2020  
जीएसटी परिपत्र सं.01/2020

सं. 2018/एसी॥1/57

नई दिल्ली, दिनांक: 6.01.2020

प्रधान वित्त सलाहकार  
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

विषय: ईबीआर-आईएफ वित्तपोषित संविदाओं का संशोधित नमूना।

संदर्भ: बोर्ड के पत्र सं. 2018/एसी॥1/57 दिनांक 16.12.2019 (आरबीए सं. 109/2019/जीएसटी परिपत्र सं. 32/2019) एवं दिनांक 17.12.2019 (आरबीए सं. 110/2019/जीएसटी परिपत्र सं. 33/2019) का पत्र.

\*\*\*

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के उक्त पत्रों की ओर आकर्षित किया जाता है जो दिनांक 01.01.2020 से प्रभावी ईबीआर-आईएफ वित्तपोषित संविदाओं के संशोधित नमूने के कार्यान्वयन के बारे में हैं।

कुछ रेलों ने आईआरएफसी से अपेक्षित ब्याँरे प्राप्त न होने के कारण इन अनुदेशों के कार्यान्वयन में कठिनाई अभिव्यक्त की है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित कार्यपद्धति 01.02.2020 से कार्यान्वित की जाए। इस दौरान, नए करार के हस्ताक्षरित होने तक प्राप्त किए गए बिल/बीजक मौजूदा करार के अनुसार पास किए जाएं।

इ.

(संजीव शर्मा)

निदेशक वित्त (लेखा)

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. कार्यपालक निदेशक/ डब्ल्यू, डब्ल्यूपी, आरई, एमई, परियोजना, टीके/ पी, टीके/ एम, आरएस/ जी, एफबीएंडआरएम, एफएक्स-I, एफएक्स-II, रेलवे बोर्ड;
2. महाप्रबंधक/एआईएमएस/क्रिस/चाणक्यपुरी/नई दिल्ली-110021.
3. निदेशक/सिग-I, आईसी, टीके/पी, टीके/एम रेलवे बोर्ड;
4. उप निदेशक एल एंड एफ, रेलवे बोर्ड